

मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
::आदेश::

1970

भोपाल, दिनांक/4/12/2023

क्रमांक एफ 01-117/2018/20-1 म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2020 के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती से सहायक संचालक, लोक शिक्षण के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को राज्य शासन एतद् द्वारा सहायक संचालक, लोक शिक्षण के पद पर वेतनमान पी.बी.- (छठवाँ वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 5400) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अन्तर्गत मैट्रिक्स में लेबल 12 में तत्स्थानी वेतनमान 56100-177500/-में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेगे। पदस्थापना आदेश जारी होने तक संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल में मान्य की जाएगी।

स.क.	चयन सूची का क्र.	नाम	निवास का पता
1.	2	श्री सावन पाटीदार	ग्राम बेहरावल तह0 कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0।
2	4	श्री पंकज कुमार जाट	3, जी-ब्लॉक टापरी, बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन।
3	5	सुश्री किरण कौशिक	मंडी रोड चर्च के पास शिवनगर कॉलोनी जिला टीकमगढ।
4	6	श्री माधव खैर	89 ग्राम गरडावद जिला धार म0प्र0।
5	7	सुश्री प्राशी अग्रवाल	वार्ड नं 13 जैन मंदिर के सामने बजरिया कटंगी जिला जबलपुर
6	8	सुश्री शिवांगी बघेल	602, साउथ सिविल लाईन्स जबलपुर।
7	9	श्री अनुपम शर्मा	वार्ड नं 23 चतुर्वेदी नगर भिण्ड।
8	10	सुश्री अकांक्षा सोनी	वार्ड नं 14/19 बरौनी होटल के पिछे शहडोल म0प्र0।
9	11	सुश्री सलोनी शर्मा	07/120 फूलबाग नरसिंहगढ जिला राजगढ़।
10	12	श्री बलवंत	ग्राम मालहनवाडा तहसील बनखेडी जिला नर्मदापुरम।
11	13	सुश्री मोनिका पटेल	म.का. नं 130 सोनी भवन टीलाजमाल पुरा भोपाल।
12	14	श्री राहुल भार्गव	हाट रोड नगर पालिका के सामन जगदीश कॉलोनी जिला गुना।
13	15	सुश्री वंदना गुप्ता	सी/103 बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन।
14	16	श्री यश जैन	वार्ड नं 8 बस स्टेण्ड के पास बदरवास जिला शिवपुरी।

manjib

स.क.	चयन सूची का क्र.	नाम	निवास का पता
15	17	श्री सिद्धार्थ जैन	वार्ड नं 5 बगिया मोहल्ला शाहगढ जिला सागर।
16	18	सुश्री प्रेरणा गुप्ता	हनुमान मंदिर के सामने न्यू कॉचमील रोड आनंद नगर गेट बिरला नगर ग्वालियर।
17	19	सुश्री किरण सिंह	सी/689 आनंद नगर ग्वालियर।
18	20	सुश्री हिमानी लोदवाल	ए-2/205 शुभ-लाभ वैली, मंगल नगर के पास भिचौली हप्पी रोड बंगाली स्क्वेर जिला इंदौर।
19	21	श्री राजेश बागडे	फ्लैट नं 104 ब्लॉक नं 5 विंडसर अरालिया बैरागढ चिचली कोलार रोड भोपाल।
20	22	सुश्री रचना प्रजापति	चौबे कॉलोनी छतरपुर थाना सिविल लाईन जिला छतरपुर।
21	23	सुश्री शालिनी दिनकर	440/3 वार्ड क 29 हनुमान गढी के पास दतिया।
22	24	श्री अमित मानदेकर	फ्लैट नं 103 ब्लॉक नं 6 नई पुलिस रेडियों कॉलोनी भदभदा रोड भोपाल।
23	25	श्री अभिषेक यादव	393 विकास नगर विस्तार 14/2 जैन मंदिर के पीछे वार्ड नं 29 जिला नीमच
24	26	सुश्री सोनालिका आँचले	258 राधारमण कॉलोनी मनावर जिला धार।
25	27	श्री भूपेन्द्र चौहान	82 गोकुल धाम कॉलोनी विस्तान रोड, जिला खरगौन म0प्र0।
26	28	सुश्री अश्विनी बन्डोड	बी 13/2 कुन्दन नगर वार्ड 10, जिला बडवानी म0प्र0।
27	29	सुश्री गरिमा टोप्पो	18 गंगापुरम सिरोल रोड मुरार जिला ग्वालियर।
28	30	श्री अरविन्द घुर्वे	रायपुर रोड खेरमाई मंदिर के पास भुआ बिछिया जिला मण्डला।
29	31	श्री सचिन मण्डलोई	बी 10 गौरीधाम कॉलोनी जिला खरगौन।
30	32	श्री कमल मण्डलोई	ग्राम काली किराय पोस्ट कुवाड तह. मनावर जिला धार।
31	33	श्री राहुल मण्डलोई	55 अ सतपुडा कॉलोनी बडवानी।
32	34	श्री सुभाष कुमार मिश्रा	मकान नं 202 वार्ड नं 2 सुभाष नगर सीधी।
33	35	श्री ब्रजेश सिंह जादौन	ग्राम घुरघार तहसील व जिला मुरैना।

उपर्युक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन रहेगी :-

(2) म.प्र.राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 के नियम 20 अनुसार यह नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगी।

manjot

(3) इन नियुक्तियों में म.प्र.लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1984) के उपबन्धों का और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा -6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान लिया गया है। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत के आरक्षण की सुविधा का प्रावधान एवं म.प्र.सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग का राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल 2018 का भी पूर्ण संज्ञान लिया गया है।

(4) इन अधिकारियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं म.प्र.राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 के अध्याधीन रहेगी।

(5) यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी हैं तथा दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर नियुक्ति की गई है।

(क) म.प्र. सिविल सेवा (अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेंगी।

(ख) एक माह का नोटिस दिये बिना उसके एवज में एक माह के वेतन तथा भत्तों का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त (क) के अंतर्गत देय रकम संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(6) अभ्यर्थी म.प्र. की शासकीय सेवा में होने की दशा में संबंधित विभाग/कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो तो आदेश की प्रति संबंधित विभाग/कार्यालय को अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई जाए।

(7) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल विवरण प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्तिया स्वतः निरस्त मानी जावेगी। मेडिकल बोर्ड के द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र में अनफिट पाए जाने की स्थिति में सेवाए समाप्त कर दी जावेगी।

(8) उक्तनुसार अभ्यर्थी दिनांक 18.12.2023 से प्रारंभ होने वाले संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण में दिनांक 17.12.2023 को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी म.प्र. भोपाल में नियुक्ति आदेश एवं अपने पहचान पत्र सहित उपस्थिति देना अनिवार्य है। प्रशिक्षण के पश्चात प्रशासन अकादमी भोपाल द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होना एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित न होने पर यह माना जायेगा कि संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्वीकार नहीं है, तथा अग्रेत्तर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने के पूर्व आर.सी.व्ही.पी नरोन्हा अकादमी, भोपाल की वेबसाईट पर होम मीनू के अंतर्गत संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में ज्वार्इन करने हेतु निर्देश का अनिवार्यतः अध्ययन कर लिया जाए।

mayab

(9) संबधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5 / एक / 05 / नि / चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात् म.प्र.शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिये मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। सेवा संबधी मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा भविष्य में बनाये जाए और उन्हे लागू किया जाये के अध्यधीन रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Mangubhai 12-23
(मंजूषा विक्रान्त राय)

उप सचिव

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग

1971
पृ.क./एफ 01-117/2018/20-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 14/12/2023

1. महानिदेशक आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी शाहपुरा भोपाल।
2. प्रधान महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर।
3. सचिव, म.प्र.लोक सेवा आयोग इन्दौर।
4. आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
6. संबधित अभ्यर्थी-
7. आर्डर बुक

Mangubhai
उप सचिव

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग